न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

अनवान -

1- जुले खान पत्नी नूर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 80 वर्ष निवासी चक 3 बीएलएम तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ (राज.) ।

2- खादम अली पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 10, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

3- रहमत अली पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 11, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

4- नियाज अली पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 3 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज.)

5- कासम अली पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 3 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज.)

6- कालू खांन पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 3 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज.)

7- बीबी सेना पुत्री नूर मोहम्मद पत्नी आरीफ खान जाति मुसलमान निवासी चक 5 बीएलडी-बी तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ ।

8- गामा बी पुत्री नूर मोहम्मद पत्नी रहमत अली जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 10, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

..........प्रार्थीगण...........

बनाम-

1- गुलाम रसूल पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 10, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

2- बाग अली पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान सिख निवासी चक 3 बीएलएम तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ (राज.)।

3- नूर बानो पुत्र नूर मोहम्मद पत्नी युसूफ अली जाति मुसलमान निवासी नजदीक मदीना मस्जिद, बीकानेर (राज.)।

4- गुलाम अली पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 3 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज.)

5- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर ।

.........अप्रार्थीगण.........

उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

उपस्थिति- 01- श्री प्रवीण चुघ, वकील प्रार्थीगण
02- श्री भवनी पंवार, वकील प्रतिप्रार्थीगण
03- पैरा[illegible] राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा[illegible]काश्तकारी अधिनियम)

[illegible]र्णय दिनांक - 9/12/24

राजस्व प्रकरण संख्या - 29/2024
(जी.सी.एम.एस.-2024/54)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.20 11:12:06 IST
Reason: SelfAttested

::-निर्णय ::-

प्रकरण के तथ्य संक्षेम में इस प्रकार है कि-

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 मुस्लिम विधि से शासित होते हैं तथा सुन्नी सम्प्रदाय से तालूकात रखते हैं। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के पति/पिता के नूर मोहम्मद पुत्र नसीरा जाति मुसलमान के नाम से कृषि भूमि वाके चक 3 बीएलएम-ए पटवार हल्का 6 बीएलएम तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 02 प.नं. 194/386 में किला न. 1 ता 25 के कुल 6. 3250 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसे आईन्दा विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा।

प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के पति/पिता नूर मोहम्मद की दिनांक 23. 01.2021 को मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र सलंग्न प्रार्थना पत्र है। नूर मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत उक्त विवादित भूमि में प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 हिस्सेदार की श्रेणी में आते हैं तथा नूर मोहम्मद के विधिक वारिस हैं। ग्राम पंचायत 6 बीएलएम द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र सलंग्न वाद पत्र है। नूर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 मुस्लिम विधि के अनुसार उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। उक्त विवादित भूमि नूर मोहम्मद की मृत्यु के बाद से ही प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 द्वारा संयुक्त रूप से काश्त की जाकर अपने अपने परिवारों का पालन पोषण किया जा रहा है।

उक्त विवादित भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के पति /पिता के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वर्तमान तक प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 को विवादित भूमि काश्त करने में किसी तरह की कोई विधिक अथवा अन्य कोई बाधा नहीं आई है परन्तु अब प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के बीच उक्त भूमि के विभाजन को लेकर आपसी विवाद रहने लगा है तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्सा की भूमि से महरूम करने के लिये भू माफियाओं के संपर्क में आने लगे हैं और प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्सा की भूमि से बेदखल करने की फिराक में हैं तथा सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने की फिराक में हैं।

उक्त विवादित भूमि प्रार्थीगण को अपने पति/पिता की मृत्यु के बाद बतौर हिस्सेदार /वारिस प्राप्त हुई है तथा प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की ही तरह उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकार है परन्तु अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के मन में बेईमानी व लालच आ गया है तथा वे भू माफियाओं की सहायता लेकर प्रार्थीगण को उनके मुस्लिम विधि के अनुसार प्राप्त होने वाली हक व हिस्सा की भूमि से वंचित करने के लिये जबरन भूमि से वेदखल कर सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अन्यत्र हस्तांतरित करने पर आमादा प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 को कई बार विवादित भूमि को मुस्लिम विधि के अनुसार अपने अपने हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड [illegible] हेतु व किला विभाजन आपसी सहमति के अनुसार करवाने [illegible] योग करने हेतु कहा तो प्रारंभतः टालमटोल करते रहे [illegible] 2024 को प्रार्थीगण व मौजिज व्यक्तियों के समक्ष ऐसा करने से [illegible] हो गये और ऐलानिया कहने लगे कि वे प्रार्थीगण को जबरन भू माफियाओं [illegible] सहयोग से उनके हक व हिस्सा की भूमि से बेदखल कर कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से भूमि को अन्यत्र विक्रय

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.20 11:12:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कर देंगे और उन्हें उनके हक व हिस्सा की भूमि से महरूम कर देंगे। बस यही मुखास्मत दिनांक प्रार्थीगण को वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण प्राप्त हुआ है तथा वादी के समक्ष उक्त वाद पत्र को प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है।

प्रार्थीगण को विवादित भूमि अपने पति/पिता नूर मोहम्मद की मृत्यु के बाद भूमि का हिस्सेदार होने के कारण विरास्तन प्राप्त हुई है जिसका उपयोग व उपभोग करने का प्रार्थीगण को पूर्ण अधिकार है तथा अपने नाम से उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का और किला विभाजन करवाने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त है परन्तु अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 द्वारा प्रार्थीगण का सहयोग नहीं किया जा रहा है बल्कि प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्सा की भूमि से महरूम करने के लिये गैर कानूनी कार्य करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रार्थीगण को विवादित भूमि अपने पति/पिता नूर मोहम्मद की मृत्यु के बाद भूमि का हिस्सेदार होने के कारण विरास्तन प्राप्त हुई है इसलिए उक्त कृषि भूमि विरास्तन भूमि की श्रेणी में आती है जिस पर प्रार्थीगण का नूर मोहम्मद की मृत्यु के बाद प्रारंभ से ही हक व हिस्सा है जिसका प्रार्थीगण स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित करवाने व आपसी किला विभाजन के अधिकारी है। चूंकि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 4 प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हक व हिस्सा से महरूम व बेकब्जा करने के लिए भूमि को खुर्द बुर्द व अन्तरित करने पर तथा कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाने पर आमादा है इसलिए वादी अप्रार्थीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी हैं।

अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावे किं नूर मोहम्मद पुत्र नसीरा जाति मुसलमान के नाम से दर्ज भूमि वाके चक 3 बीएलएम-ए पटवार हल्का 6 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर के मु0न0 2 प0न0 194/386 में किला नम्बर 1 ता 25 के कुल 6.325 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि को मूल वाद के निस्तारण तक अन्यत्र हस्तांतरित, रहन, बैय, करने से बाज व ममून रहे, प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्सा की भूमि से बेदखल करने से निषेधित रहे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा जरिये अधिवक्ता अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम से उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो हमे काई आपत्ति नही है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीया जूले खां की मृत्यु [illegible] 31.10.2024 को हो चुकी है। प्रार्थीया जूले खां के वारिसान बतौर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण [illegible] पर पूर्व में प्रार्थना पत्र मे संयोजित किये जा चुके है। अन्य कोई वारिसान [illegible] है। [illegible] उपलब्ध दस्तावेजो मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] अधिवक्ता वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण एवं अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] हेतु अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु सहमति प्रस्तुत करने के कारण तनकी कायम

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.20 11:12:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करने की आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर किसी प्रकार कोई एतराज जाहिर नहीं किया है। इसलिए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का विवाधक बिन्दू नहीं होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अ0धा0 स्वीकार किया जाकर वाके चक 3 बीएलएम-ए पटवार हल्का 6 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर के मु0न0 2 प0न0 194/386 में किला नम्बर 1 ता 25 के कुल 6.325 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आदिनांक ....9/12/24..... को लिखवाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

शंकुतला
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.20 11:12:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner